इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 11, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-1-47-2021-बयालीस-1.—विभागीय राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 04 सितम्बर 2020 के अनुसार सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है, के संबंध में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा प्रक्रिया में आधार सेवाओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-5 के पश्चात्, नियम-6 अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

6. सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (पप) के अनुसरण में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को स्वैच्छिक आधार पर, परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण और अन्य कदाचार की रोकथाम एवं परीक्षा के निष्पक्ष संचालन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी का आधार सत्यापन निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा.

No. F-1-4-2020-XLII-2.-In accordance with the gazette Notification Dated 04th September 2020 regarding the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies, simplifies the Government delivery processes, brings in transparency, efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity, the State Government hereby, makes the following amendments in the examination process of the Professional Examination Board, Bhopal, for the use of Aadhaar services, namely :—

AMENDMENTS

After rule 5, the following rule shall be inserted as rule 6, namely:—

In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Professional Examination Board is allowed to perform Aadhaar Authentication, on voluntary basis, for the authentication of each candidate during the examination to avoid impersonation and other malpractices during the examination and to ensure fair conduction of examination. The Professional Examination Board, Bhopal shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.